## 89 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद...

### भोपाल जिला बार एसोसिएशन चुनाव...

# 74.41 प्रतिशत मतदान, आज होगी मतगणना

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भोपाल जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कुल 5,781 पंजीकृत मतदाताओं में से 4,302 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जिससे 74.41 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को प्रत्याशियों एवं चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में सीलबंद कर सुरक्षित रख दिया गया। शुक्रवार को मतगणना के बाद सभी पदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

इस चुनाव में अध्यक्ष, सचिव सहित विभिन्न पदों के लिए 89 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं। मतदान के लिए जिला न्यायालय परिसर में 160 मतदान बूथ बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा तथा पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।

मुख्य चुनाव अधिकारी वासु वासवानी ने बताया कि इस बार मध्यप्रदेश में पहली बार स्कैनर मशीन की सहायता से मतगणना की जाएगी। वहीं सहायक चुनाव अधिकारी कमल ने बताया कि चुनाव के दौरान 40 अधिवक्ताओं ने टेंडर वोट भी डाले। मतदान प्रक्रिया हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त तीन न्यायिक पर्यवेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई।

5,781 में से 4,302 अधिवक्ताओं ने डाले वोट

**मतदान एक नजर में**

| | |
|---|---|
| कुल पंजीकृत मतदाता | - 5,781 |
| कुल मतदान | - 4,302 |
| मतदान प्रतिशत | - 74.41 |
| कुल प्रत्याशी | - 89 |
| महिला प्रत्याशी | - 9 |
| मतदान बूथ | - 160 |
| टेंडर वोट | - 40 |

*मतगणना 17 जुलाई*
*( स्कैनर मशीन से )*

# मिक्स लैंड यूज लागू करने की मांग लेकर सांसद से मिले व्यापारी

**10 नंबर मार्केट और अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने की उठाई मांग**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** राजधानी के 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ ने गुरुवार को सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपकर 10 नंबर मार्केट एवं अरेरा कॉलोनी मुख्य मार्ग क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज लागू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से भोपाल विकास योजना का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण व्यापारियों को व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो सके। इसके चलते वर्षों से आवासीय भवनों में ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि क्षेत्र के व्यापारी नियमित रूप से नगर निगम को व्यावसायिक कर, मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी को व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क तथा नगर निगम से प्राप्त व्यावसायिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हजारों व्यापारियों और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है तथा शासन के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ज्ञापन में सांसद से आग्रह किया गया कि 10 नंबर मार्केट एवं अरेरा कॉलोनी के मुख्य मार्ग क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज लागू कराया जाए, नए मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन किए जाएं तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल की जाए।

इस अवसर पर महासंघ के संरक्षक ओमप्रकाश साहू, कन्हैयालाल नैमानी, संजय सोनी, मनोज सिंह मीक, मुरारीलाल तलरेजा, किशन बाधवानी, संजय मल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आतम तलरेजा, मुकेश जैन, प्रदीप गुप्ता और मुकेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इधर, भेल की भूमि के आवंटन को लेकर भी विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केवल सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी। यदि किसी अन्य उद्देश्य से भूमि का आवंटन किया गया तो भेल के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भेल प्रबंधन भी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भेज चुका है।

# दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया प्रवेशोत्सव

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** नवजीवन सेवा समिति एवं माता महालक्ष्मी अन्नक्षेत्र द्वारा स्पर्श भवन स्थित मूक-बधिर दिव्यांग बच्चों के विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के अवसर पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर तथा मिष्ठान खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। बच्चों के उत्साह और प्रसन्नता से पूरा वातावरण उल्लासमय हो उठा। समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र अग्रवाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभा से परिपूर्ण होता है।

अतिथि राकेश कुकरेजा ने कहा कि समाज का दायित्व है कि दिव्यांग बच्चों को समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। संस्था के मीडिया प्रभारी भगवान दास ढालिया ने कहा कि सेवा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया। इस अवसर पर तरंग अग्रवाल, रितेश खरे, मनोज, गौरव भार्गव, विद्यालय के शिक्षकगण तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

## संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर विभागों की धीमी गति

**नप्र, भोपाल :** प्रदेश सरकार के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू करने के वित्त विभाग के आदेश के एक माह बाद भी कई विभागों में इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। अब तक चार विभागों के लगभग 41 हजार कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए पारिश्रमिक के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि करीब 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी अभी भी अपने-अपने विभागों से आदेश जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त विभाग ने आठ जून को एक अप्रैल 2026 से 4.46 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि लागू करने के निर्देश जारी किए थे। राज्य शिक्षा केंद्र ने जून में ही अपने लगभग 2,800 कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मप्र राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने भी इस माह बढ़े हुए पारिश्रमिक के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने यह वृद्धि वर्ष 2023 की संविदा नीति के आधार पर लागू की है। नीति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है।

# जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता : कृष्णा गौर

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्व. बाबूलाल गौर की प्रेरणा से गोविंदपुरा क्षेत्र में शुरू हुआ जनसेवा और विकास का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है तथा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे गुरुवार को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 57 में आयोजित भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने लगभग 81 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। इनमें भगत सिंह चौराहे से शक्तिनगर तक सड़क के दोनों ओर 33 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक निर्माण, शक्तिनगर सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिर के पास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा सुभाष खेल मैदान में 40 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक फ्लड लाइट स्थापित करने का कार्य शामिल है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

# स्किन क्लीनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, 7 क्लीनिकों को नोटिस जारी

**बाल उगाने के नाम पर ठगी की मिल रही थीं शिकायतें**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** राजधानी में बाल उगाने और त्वचा संबंधी इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले करीब छह से सात स्किन क्लीनिकों को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, कुछ एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर आयुर्वेदिक उपचार करने की शिकायतें भी विभाग को मिली हैं, जिनकी गहन जांच शुरू कर दी गई है।

भोपाल में संचालित कुछ त्वचा एवं सौंदर्य (स्किन) क्लीनिकों द्वारा मनमाने ढंग से इलाज करने और मरीजों को गुमराह करने की हरकतों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। विभाग की ओर से शहर के करीब छह से सात स्किन क्लीनिकों को नोटिस थमाए गए हैं। दरअसल, विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ये क्लीनिक बाल उगाने (हेयर ट्रांसप्लांट व थेरेपी) और चेहरे की झाइयों जैसी विभिन्न समस्याओं के इलाज का झांसा देकर आम जनता से मोटी रकम वसूल रहे हैं और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इसके साथ ही, कई क्लीनिकों के खिलाफ विज्ञापन के जरिए इलाज को लेकर बड़े-बड़े और भ्रामक दावे करने की शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, जिसमें कुछ एलोपैथिक डॉक्टरों पर नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करने के आरोप लगे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. मनीष शर्मा ने गुरुवार को बताया कि नोटिस जारी कर सभी संबंधित क्लीनिकों से जवाब मांगा गया है। वर्तमान में इन सभी मामलों की जांच के लिए टीमें काम कर रही हैं। डॉ. शर्मा ने कहा है कि यदि जांच के दौरान क्लीनिकों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रामक प्रचार या चिकित्सा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों की समीक्षा,

**नप्र, भोपाल :** खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने नाथू बरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में सेना भर्ती कार्यालय, जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और समन्वित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

## इग्नू में प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी

**नप्र, भोपाल :** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में नए प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। विश्वविद्यालय ने द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा अगले सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी इसी तिथि तक ऑनलाइन पुनः पंजीकरण का अवसर दिया है।

## महापौर ने किया रथयात्रा का शुभारंभ

**नप्र, भोपाल :** महापौर श्रीमती मालती राय ने भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को खींचकर रथयात्रा का शुभारंभ किया। श्रीमती मालती राय ने गुरूवार को शांति नगर स्थित श्री गौर राधा मदन गोपाल मंदिर से आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना एवं रथ को खींचकर किया। इस अवसर पर श्री हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के अलावा चेतन भार्गव, महेश मालवीय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।


**कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति**
**उदयपुरा, जिला-रायसेन (म.प्र.)**

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2026-27/164 उदयपुरा, दिनांक : 13.07.2026

**निविदा आमंत्रण सूचना**

कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा, जिला रायसेन की उपमंडी देवरी के प्रांगण में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) के तहत तौलकांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा **सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_521068_1** के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 17.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 07.08.2026 को शाम 05:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

**नोट :-** आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

**सचिव**
**कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा**
**जिला-रायसेन (म.प्र.)**

**भारसाधक अधिकारी**
**कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा**
**जिला-रायसेन (म.प्र.)**

म.प्र. माध्यम/126907/2026



**कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति**
**छापीहेडा, जिला-राजगढ़ म.प्र.**

क्र./मंडी/निर्माण/26-27/133 छापीहेडा, दिनांक :16.07.2026

**द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना**

कृषि उपज मण्डी समिति छापीहेडा 'घ' श्रेणी'' मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत तौलकांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_521762_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 20.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 05.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

**नोट :-** आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

**सचिव**
**कृषि उपज मण्डी समिति**
**छापीहेडा, जिला-राजगढ़**

**भारसाधक अधिकारी**
**कृषि उपज मण्डी समिति**
**छापीहेडा, जिला- राजगढ़**

म.प्र. माध्यम/126906/2026


**समीक्षा** *पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न*

# राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना सभी की जिम्मेदारीः आलोक

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** सांसद आलोक शर्मा ने शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में शहर के 16 ब्लैक स्पॉट समाप्त करने, 37 लेफ्ट टर्न को व्यवस्थित करने, बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को पुनः संचालित करने, अतिक्रमण एवं कंडम वाहनों को हटाने, विद्युत पोल सहित अन्य अवरोधों को स्थानांतरित करने तथा ई-रिक्शा संचालन को सुव्यवस्थित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करें, ताकि नागरिकों को बाजार, स्कूल, कार्यालय, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य प्रमुख स्थानों तक निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना केवल एक विभाग की नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों की साझा जिम्मेदारी है। श्री शर्मा ने नगर निगम द्वारा लेफ्ट टर्न सुधार एवं विद्युत पोल हटाने के कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने पर महापौर श्रीमती मालती राय एवं नगर निगम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए किया जाए। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सांसद श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं, जिससे त्योहारों के दौरान नागरिकों को जाम, अव्यवस्था और अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। श्री शर्मा ने महापौर श्रीमती मालती राय को जलभराव वाले स्थानों की सूची सौंपते हुए निर्देश दिए कि नगर निगम के अधिकारी तत्काल स्थलों का निरीक्षण कर प्रभावी जल निकासी एवं सड़क सुधार की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, यातायात पुलिस, एनएचएआई एवं एमपीआरडीसी के अधिकारियों द्वारा कई बिंदुओं पर संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सांसद श्री शर्मा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी पूर्ण तैयारी, अद्यतन जानकारी एवं कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों। किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अधूरी जानकारी अब स्वीकार नहीं की जाएगी तथा दिए गए निर्देशों का समय-सीमा में पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान महापौर श्रीमती मालती राय ने सदर मंजिल से काली मंदिर चौराहे तथा वहां से बुधवारा क्षेत्र तक सड़क पर फैले अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इस पर सांसद श्री शर्मा ने पुलिस, राजस्व एवं नगर निगम अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें आमजन की सुविधा के लिए हैं और उन पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।